कार्यालय – प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी(उत्तराखंड) 249196
ईमेल : gdcchinyalisaur@yahoon.in वेबसाइट : www.rmcuk.in फोन 01371 237154

छात्रों हेतु आचार संहिता

1. शासनादेश संख्या–528(1)15(उ0शि0)71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्रकट नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है।

2. प्रत्येक छात्र के पास महाविद्यालय परिचय पत्र का होना अनिवार्य है। जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय पत्र खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा द्वितीय प्रति मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।

3. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/विश्वविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है।

4. छात्र–छात्राओं को प्रतिदिन महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस/यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है।

5. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल का समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को नियमानुसार दण्डित किया जा सकता है।

6. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगें।

7. पूर्व अनुमति के बिना परिसर में किसी भी गतिविधि के ऑडियो, वीडियो बनाना, मीडिया में प्रसारित करने की अनुमति नहीं है

8. महाविद्यालय में रैंगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संगीन अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है। रैंगिंग में दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरूद्ध अपराध की गम्भीरता को देखते हुए निम्न लिखित कार्यवाही की जा सकती है।
   - क. प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना।
   - ख. महाविद्यालय से निष्कासन/निलम्बित किया जाना।
   - ग. किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित किया जाना।
   - घ. प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी।
   - ड. अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार मुकद्मा चलाया जाना भी सम्मिलित है।

महाविद्यालय के प्रति मुख्य अपराध

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।

क्रमशः 2

4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैंगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना।

7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

निषेध

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान व मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गंदा करना और उन पर विज्ञापन लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन कक्षों, बागीचे, फुलवारी, अथवा सम्पति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में पान मसाला, च्युइंगम, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का परिचय पत्र मांगने पर इन्कार करना।
7. जो भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।
8. कानून या नीति के विपरीत किसी भी विस्फोटक, हथियार, आतिशबाजी को महाविद्यालय में ले आना या प्रयोग करना दण्डनीय अपराध होगा।
9. किसी भी व्यक्ति के लिए लिंग, जाति, धर्म या धार्मिक विश्वासों, क्षेत्र, भाषा, विकलांगता, यौनउत्पीड़न आदि के आधार पर भेद–भाव (शारीरिक या मौखिक आचरण) का कोई भी कार्य निषिद्ध रहेगा।
10. महाविद्यालय परिसर में मल्टीमीडिया फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। शास्ता मण्डल द्वारा कभी भी जाँच के समय उक्त फोन के पाये जाने पर फोन जब्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

———————————————————————————————